न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2503/2026

UPST010070572026

ओम प्रकाश पुत्र त्रिभुवन, निवासी ग्राम बीसापुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 07/2026,
अन्तर्गत धारा 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(द), 3(1)(ध),
3(2)(5क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 10.08.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त ओम प्रकाश के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 07/2026, अन्तर्गत धारा 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति की महिला है, जिसने वर्ष 2013 में विवादित भूमि विधिवत क्रय कर उसका दाखिल-खारिज अपने पक्ष में करा लिया। विपक्षीगण ने उक्त भूमि पर झूठा स्वामित्व दावा कर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा बाद में उसी भूमि का कूटरचित बैनामा कराकर अपने पक्ष में दर्शाने का प्रयास किया। दिनांक 14.09.2025 को भूमि विवाद को लेकर विपक्षीगण ने वादिनी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, जान से मारने एवं हाथ-पैर तुड़वाने की धमकी दी तथा 5,00,000/- रूपये की अवैध मांग की। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर विपक्षीगण मौके से चले गये।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी की तरफ से न्यायालय श्रीमान जी में प्रस्तुत यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न तो न्यायालय श्रीमान जी में दिया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन ही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मुकदमें के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध किसी थाने में पंजीकृत नहीं है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादिनी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादिनी न्यायालय के

समक्ष उपस्थित नहीं आयी।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य अभियुक्तगण के साथ नामित है। प्रार्थी पर वादिनी मुकदमा को जमीनी विवाद को लेकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए एवं जान–माल की धमकी दिए जाने का अभियोग है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। सह–अभियुक्तगण उर्मिला एवं अनूप कुमार श्रीवास्तव की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका भी सहअभियुक्तगण के समान है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत पर छोड़ा जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/– रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

<u>दिनांक 10.08.2026</u>

(स्टेनो सुधीर सिंह)